समाचार पत्रों की कतरनें

अक्तूबर 2024

जिले में 133 पियक्कड़ वाहन चालकों के चालान

23 के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश, पुलिस ने एक सप्ताह तक चलाया अभियान

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। जिला शिमला में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने पिछले सप्ताह विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 5,046 वाहनों की जांच की गई।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 133 चालकों के चालान काटे गए हैं। ऐसे चालकों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने इस दौरान 23 लाइसेंस रद्द करने की संबंधित लाइसेंस अथॉरिटी को सिफारिश भेजी है।

सड़क हादसों में सितंबर तक 483 की मौत

शिमला। पुलिस विभाग के मुताबिक प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों की छानबीन में पाया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना हादसों का प्रमुख कारण है। रात 9:00 से रात 11:30 बजे के बीच सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। इसको देखते हुए पुलिस विभाग ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस साल सितंबर तक प्रदेशभर में हुए सड़क हादसों में 483 लोगों की मौत हो चुकी है।

जिला पुलिस ने पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी निर्देशों के बाद 24 सितंबर से 2 अक्तूबर तक यह विशेष अभियान चलाया।

इसके लिए एसपी शिमला संजीव गांधी ने सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी किए थे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पुलिस स्टेशन, सीएम हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत कर सकते हैं।

अमर उजाला, दिनांक.01.10.2024
पेज न0–02, कालम–2,3,4,5

राज्य पथकर जमा नहीं कर रहे कई निजी बस ऑपरेटर

देनदारी 2.75 करोड़ पहुंची, कई ऑपरेटरों ने दस सालों से जमा नहीं कराया है टैक्स, अब सख्ती करेगा विभाग

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। राजधानी शिमला समेत जिले की सड़कों पर दौड़ने वाली निजी बसों के ऑपरेटर हर साल लाखों की कमाई करने के बावजूद राज्य पथकर जमा नहीं करवा रहे।

हैरानी इस बात की है कि इसमें कई बस ऑपरेटर ऐसे हैं, जिन्होंने दस सालों से टैक्स जमा नहीं करवाया है। बस ऑपरेटर परिवहन विभाग की ओर से दी जाने वाली हिदायतों को भी दरकिनार कर रहे हैं। यही वजह है कि साल दर साल राज्य पथकर की देनदारी बढ़ती जा रही है। अब यह देनदारी 2,75,52,500 तक पहुंच चुकी है। परिवहन विभाग ने हाल ही में ऐसे निजी बस ऑपरेटरों को लंबित टैक्स की अदायगी करने के लिए सख्त हिदायत जारी की थी। इसमें अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक सप्ताह के भीतर उन्होंने राज्य पथकर की अदायगी नहीं की तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बस चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

इसके बावजूद निजी बस ऑपरेटर टैक्स जमा करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब परिवहन विभाग ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

सालों से निजी बसों के टैक्स जमा नहीं करवाने के पीछे ऑपरेटरों की लापरवाही तो सामने आ रही है लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि विभाग ने अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की।

265 बसों में से 224 ने जमा नहीं कराया टैक्स

निजी बस ऑपरेटर टैक्स जमा करवाने को लेकर कितना संजीदा हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जिले में चलने वाली 80 फीसदी बसों का टैक्स जमा नहीं हुआ है। इसमें 265 बसों में से 224 डिफॉल्टर की सूची में हैं। सालों से टैक्स जमा नहीं करवाने के कारण इस पर पैनेल्टी भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई बसें ऐसी भी हैं जिनका राज्य पथकर आठ लाख रुपये से अधिक पहुंच गया है। लाखों की देनदारी वाले ऑपरेटर 30 के करीब हैं। इसके अलावा अन्य बसों ऑपरेटरों को हजारों में टैक्स की अदायगी करनी है।

तीस के करीब ऑपरेटरों की है लाखों की देनदारी

ब्लैक लिस्ट होंगे ऑपरेटर

निजी बस ऑपरेटरों को राज्य पथकर जमा करवाने के लिए समय-समय पर हिदायतें जारी की जा रही हैं। लेकिन उन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया तो ऐसी बसों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर इससे बचने के लिए समय पर राज्य पथकर जमा करवाएं

–अनिल शर्मा, आरटीओ शिमला

अमर उजाला, दिनांक.02.10.2024
पेज न0–04, कालम–2,3,4,5,6

ड्रॉ ऑफ लॉट्स से बिकेंगे 87 बस रूट

हिमाचल पथ परिवहन निगम के सरेंडर किए रूटों के लिए आए 573 आवेदन

शकील कुरैशी – शिमला

हिमाचल पथ परिवहन निगम के करीब छह महीने पहले सरेंडर किए गए 107 रूटों में से 87 को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए जो आवेदन आए हैं, उनकी पर्ची डलेगी और उसके हिसाब से चुना जाएगा कि कौन सा रूट किसे जाएगा। 107 रूट में से 87 के लिए आवेदन आ चुके हैं, जिनकी छंटनी का काम भी कर दिया गया है। इन 87 रूटों के लिए 573 आवेदन परिवहन विभाग के पास पहुंचे। ज्यादा आवेदन आने के चलते विभाग के सामने इनके आबंटन की चुनौती खड़ी हो गई है। अब परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि इन रूटों का आबंटन ड्रॉ आफ लॉट्स के जरिए किया जाएगा। 20 रूटों के लिए आवेदन नहीं आए हैं, जिसमें किसी भी निजी ऑपरेटर ने रूचि नहीं दिखाई है।

12 को लौटेंगे निदेशक

अभी तक पांच रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) की बैठकें हो चुकी हैं। प्रदेश में ऐसे कुल 12 आरटीए हैं, जिन पांच की बैठकें हो चुकी हैं, वहां पर आवेदनों की पड़ताल की जा चुकी है, मगर इसके लिए निदेशक परिवहन की मंजूरी चाहिए जो इन दिनों चुनाव ड्यूटी पर बाहर हैं। परिवहन निदेशक के 12 अक्तूबर को लौटने की संभावना है।

168 बस रूटों की फाइल वापस

107 रूटों के अलावा निगम ने 168 और रूटों को भी सरेंडर कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने इन रूटों को खंगाला है, मगर इसमें कुछ गड़बड़ी दिखी है। एचआरटीसी ने इस बार ऐसे रूट दिए हैं, जो आधे अधूरे हैं। यानी बस किसी और रूट पर जाती है और उसको दिया गया रूट कोई और था। बीच में से ही बस को कहीं दूसरी जगह मनमर्जी से चलाया गया और अब उस रूट को एचआरटीसी खुद के लिए घाटे का मानकर चल रहा है और उसे सरेंडर करने के लिए उसे मामला भेज दिया है। इस गड़बड़ी को परिवहन विभाग ने पकड़ लिया है और एचआरटीसी को वापस फाइल भेजकर कहा है कि वह सही तरह से रूटों को चिन्हित करे और फिर इसके बाद मामला भेजे। निगम की ओर से अब तक कुल 275 बस रूट सरेंडर किए जा चुके हैं।

दिव्य हिमाचल, दिनांक.02.10.2024
पेज न0–02, कालम–1,2,3,

शिमला में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहीं एंबुलेंस

रिज पर आरटीओ ने फिर लगाया नाका; 14 रोगी वाहन किए चैक

चीफ रिपोर्टर–शिमला

राजधानी शिमला में ऐसी एंबुलेंस भी चल रही हैं, जिनका पंजीकरण ही नहीं है। एंबुलेंस के लिए विशेष पंजीकरण करवाना पड़ता है, मगर कुछ ऐसे वाहन यहां पर चल रहे हैं, जो बिना पंजीकरण के एंबुलेंस की सेवा दे रहे हैं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को आरटीओ शिमला अनिल शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से रिज पर नाका लगाया गया है। यहां पर दो एंबुलेंस पकड़ी गईं, जिनमें से एक का पंजीकरण ही नहीं था। इस वाहन को खड़ा कर देने को कहा गया है और यह वाहन तभी चलेगा, जब इसका पंजीकरण होगा। बिना पंजीकरण के इसे नहीं चलाया जाए, जिसकी चेतावनी दी गई है। दूसरे वाहन में व्हाइट नंबर प्लेट लगाई गई थी ,जबकि उसमें यलो रंग की प्लेट लगाई जानी चाहिए थी, जिस पर जुर्माना लगाया गया है। आरटीओ ने कुल 14 एंबुलेंस को रिज व माल रोड पर चैक किया था। इससे पहले भी यहां पर सात एंबुलेंस के चालान किए गए हैं, जिनमें से आज वो कोई एंबुलेंस आरटीओ को नहीं मिली। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा का कहना है कि समय-समय पर इस तरह की चैकिंग चलती रहेगी।

शिमला। रिज पर एंबुलेंस की चैकिंग करते आरटीओ

दिव्य हिमाचल, दिनांक.02.10.2024
पेज न0–03, कालम–3,4,5

राजधानी में बिना पंजीकरण के दौड़ रहे रोगी वाहन

एंबुलेंस की आड़ में ढोई जा रही सवारियां; परिवहन विभाग ने की कड़ी कार्रवाई, दो के काटे चालान

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

परिवहन विभाग ने शिमला में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रोगी वाहनों पर नकेल कसनां शुरू कर दिया है। रोगी वाहनों में सवारियां ढोने की शिकायत के बाद आरटीओ ने नियमों के विरुद्ध चल रहे रोगी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की है।

मंगलवार को आरटीओ शिमला ने रिज मैदान पर फिर नाका लगाया। नाकाबंदी के दौरान रिज मैदान से गुजरने वाले रोगी वाहनों चैकिंग की गई। इसमें रोगी वाहन बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ते पाए गए और कुछ में सामान्य रोगियों को ले जाया जा रहा था। शहर की सील्ड सड़कों पर रोगी वाहनों को आड़ में टैक्सी का व्यापार हो रहा है। चालक धड़ल्ले से रोगी वाहनों में सवारियां और मरीजों के तीमारदारों को ढो रहे हैं। यहीं नहीं कुछ वाहन तो खाली ही सील्ड सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान 8 वाहनों की चैकिंग की गई। जिसमें दो रोगी वाहनों के तीन हजार के चालान काटे हैं। एक वाहन बिना पंजीकरण के ही सड़क पर दौड़ रहा था। दूसरे वाहन में सामान्य रोगी को ले जाया जा रहा था। बिना पंजीकरण के चल रहे वाहन को आधे रास्त से ही लौटा दिया गया। साथ ही हिदायत दी कि जब तक पंजीकरण न हो वाहन को खड़ा रखें। आरटीओ शिमला ने कहा कि अब विभाग नियमित रूप से रोगी वाहनों पर निगरानी रखेगा। जिन एंबुलेंस के पहले चालान हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अगर वह दोबारा नियमों की धज्जियां उड़ते पाए गए तो चालान के अमाउंट में बढ़ोतरी के साथ उनकी एंबुलेंस बांड भी की जा सकती है।

आरटीओ शिमला ने बताया कि 24 सितंबर को उन्हें शिकायत मिली कि सील्ड सड़कों पर रोगी वाहनों में सवारियां ढोई जा रही है। इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन रिज मैदान पर नाका लगाया और 7 वाहन नियमों के 3 हजार के चालान काटे गए। इस दौरान सभी चालकों को हिदायत दी।

आरटीओ बोले- निजी वाहनों में कोई सवारियां ढोए तो करें शिकायत

आरटीओ शिमला ने बताया कि निजी वाहनों में सवारियां ढोने की शिकायतें भी विभाग के पास आती रहती है। विभाग ने ऐसे चालकों पर शिकंजा भी कसा है। आरटीओ शिमला ने कहा कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो टैक्सी चालक और आमजन जिम्मेदार नागरिक बनते हुए इसकी शिकायत विभाग को दें। इसके आरटीओ शिमला ने 94180-27775 अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। आरटीओ शिमला ने कहा अगर निजी वाहन में टैक्सी व्यापार हो रहा तो लोग किसी समय इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शिकायत और लोकेशन शेंड करें। शिकायत के बाद विभाग कार्रवाई जरूर अमल में लाएगा।

लोगों को बांटी सड़क सुरक्षा की बुकलेट

नाकाबंदी के दौरान आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने चालकों और रिज से गुजरने वाले लोगों को विभाग द्वारा निकाली गई सड़क सुरक्षा की बुकलेट भी बांटी। इस दौरान उन्होंने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने का भी आवाह किया ताकि प्रदेश में होनी वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.02.10.2024
पेज न0–05, कालम–1,2,3,4

कांगड़ा में बढ़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज

राजेश कुमार ▮ धर्मशाला

प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में लोगों के इलेक्ट्रिक वाहन का क्रेज बढ़ने लगा है। अब तक जिला कांगड़ा में एक हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें दोपहिया व चौपहिया वाहन शामिल हैं।

पालमपुर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) पालमपुर के तहत सबसे अधिक 245, कांगड़ा के तहत 118 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं तथा लोग वाहन चला भी रहे हैं, जबकि नगरोटा बगवां में 103 ऐसे वाहन रजिस्टर्ड हैं। अभी जिला के तीन आरएलए के तहत ही 100 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन लोगों के पास हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ रहा है। प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है और चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

फायदेमंद हैं इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों से टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। इलेक्ट्रिक वाहन अधिक कुशल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करना आपकी यात्रा आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल या डीजल भरने से सस्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।

आरएलए कांगड़ा में 118 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड

जिला कांगड़ा में सबसे कम इलेक्ट्रिक वाहन जयसिंहपुर आरएलए के तहत रजिस्टर्ड हैं। आरटीओ कांगड़ा के तहत 88, आरएलए बैजनाथ के तहत 65, आरएलए नगरोटा बगवां के तहत 103, नूरपुर के तहत 70, पालमपुर में 245, शाहपुर में 76, इंदौरा में 39, ज्वालाजी में 39, जयसिंहपुर में 20, धर्मशाला में 93, धीरा में 29, फतेहपुर में 39, जवाली में 28, देहरा में 47 और आरएलए कांगड़ा में 118 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

ई-रिक्शा की ओर रुझान

लोग पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को तरजीह दे रहे हैं, फिर चाहे वाहन दोपहिया हों या चौपहिया। यही नहीं थ्री व्हीलर की जगह भी अब कई जगहों पर ई-रिक्शा का संचालन शुरू हो गया है।

"जिला कांगड़ा में अब तक 1090 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लोगों में इन वाहनों के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है।

-प्रदीप कुमार, आरटीओ, जिला कांगड़ा।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.04.10.2024
पेज न0–13, कालम–3,4,5,6

एचआरटीसी के घाटे के 16 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित

अमर उजाला ब्यूरो

एक से अधिक आवेदक होने पर पर्ची से किया आवंटन

शिमला। एचआरटीसी के सरेंडर किए घाटे के 16 रूटों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शिमला (आरटीए) की बैठक में पर्ची सिस्टम के आधार निजी ऑपरेटरों को आवंटित कर दिया है। रूटों के लिए एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। सोमवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शिमला की बैठक निदेशक परिवहन डीसी नेगी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आरटीओ शिमला अनिल कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले एचआरटीसी की ओर से सरेंडर किए घाटे के रूटों को आवंटित करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। 15 रूटों के लिए 2 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है जबकि एक रूट के लिए एक ही व्यक्ति ने आवेदन किया था।

इसको देखते निर्णय लिया कि रूट का आवंटन पर्ची से किया जाएगा। इसके बाद पर्ची निकाल कर रूपट दिए गए। एक रूट के लिए किसी का भी आवेदन नहीं किया था। बैठक में रूट ट्रांसफर के मामलों को लेकर भी स्वीकृति दी गई है।

बसों की कमी से जूझ रहा निगम

जिले में एचआरटीसी के 16 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित होने से एचआरटीसी को भी बड़ी राहत मिली है। इसकी वजह यह है कि जिले में एचआरटीसी बसों की कमी से जूझ रहा है। यही वजह है कि निगम के लिए सभी रूटों पर लोगों को बसें उपलब्ध करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। एचआरटीसी ने वर्ष 2023 में इन रूटों को घाटे का बताकर सरेंडर करने का फैसला लिया था हालांकि अभी निगम इन रूटों पर लोगों की सुविधा को देखते हुए सेवाएं दे रहा था लेकिन निजी बसें चलने से एचआरटीसी इन रूटों पर चलने वाली बसों को अन्य जगहों पर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे बसों की कमी से जूझ रहे निगम को भी थोड़ी राहत मिलेगी।

अमर उजाला, दिनांक.22.10.2024
पेज न0–04, कालम–1,2

हिमाचल के 5 ग्रीन कॉरिडोर में बनेंगे 55 चार्जिंग स्टेशन

ई-बस सेवा होगी शुरू, सरकार इसी महीने मंत्रिमंडल की बैठक में देगी मंजूरी, तीन महीनों में मिलेगी सुविधा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। प्रदेश के 5 ग्रीन कॉरिडोर पर 55 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसी महीने होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी।

चार्जिंग नेटवर्क स्थापित होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर पर एचआरटीसी लांग रूट पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर देगा।

सरकार ने प्रदेश के लिए 6 ग्रीन कारिडोर की घोषणा की थी। इनमें पहला किरतपुर-कुल्लू-केलांग राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैयार हो गया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

प्रदेश के पेट्रोल पंपों और पर्यटन विकास निगम के होटलों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते जिससे पर्यावरण सरंक्षण में मदद मिलती है।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन के रखरखाव की लागत भी पेट्रोल और डीजल वाहन से कम है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि इन वाहनों के प्रयोग से ईंधन के खर्च में भी कटौती होती है और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला विभाग है जिसमें पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

ई-वाहनों का रोड टैक्स, पंजीकरण मुफ्त

प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट और मुफ्त पंजीकरण की छूट दी है। इसके अलावा व्यवसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष पथकर में भी 50 प्रतिशत छूट दी गई है। व्यवसायिक परमिट फीस भी माफ की गई है।

ये हैं ग्रीन कॉरिडोर

- परवाणू-ऊना-नूरपुर
- पांवटा-सोलन-शिमला
- परवाणू-शिमला-रिकांगपिओ-तांबो, लोसर
- शिमला-कांगड़ा-नूरपुर-चंबा
- मंडी-पालमपुर-पठानकोट

सरकार की ओर से घोषित ग्रीन कारिडोर पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट मीटिंग में पास होने की उम्मीद है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने के बाद एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित हो सकेंगी।

– **आरडी नजीम**, प्रधान सचिव परिवहन

अमर उजाला, दिनांक.15–10–.2024
पेज न0–09, कालम–1,2,3,4,5

आरटीओ ने निजी स्कूल की तीन बसें कीं सीज

बद्दी(सोलन)। आरटीओ नालागढ़ ने बद्दी के एक निजी स्कूल की तीन बसों को सीज कर स्कूल को नोटिस जारी किया है। इनमें से एक बस का अस्थायी नंबर होने पर 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ दिया।

स्कूल को आरटीओ ने पहले भी दो बार नोटिस जारी किया था लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसका जवाब नहीं दिया। इसके अलावा एक और निजी बस को अवैध रूप से संचालन करने पर पकड़ा है और उससे एक लाख रुपये जुर्माना वसूला।

आरटीओ मदन शर्मा कई दिनों से बद्दी के एक निजी स्कूल में खटारा बसों की शिकायतें आ रही थीं। अभिभावकों ने आरटीओ को इसके वीडियो भी बना कर भेजे। ऑपरेटर बसों को छोड़ कर भाग गए। जिससे स्कूल की प्रधानाचार्य के सहयोग व पुलिस के सहयोग से इन ट्रक चालकों को पकड़ा गया और बसों को कब्जे में लिया गया। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि बद्दी के इस निजी स्कूल की लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं।

इस बारे में लोगों ने एसपी इल्मा अफरोज को भी शिकायती पत्र सौंपा था। जिस पर संयुक्त दबिश दी गई और स्कूल की चार बसों को पकड़ा। संवाद

अमर उजाला, दिनांक.16–10–.2024
पेज न0–04, कालम–2,3,4

जिले में एचआरटीसी के 17 रूटों पर चलेंगी निजी बसें

घाटे वाले रुटों को परिवहन विभाग ने लिया बंद करने का फैसला, स्टाफ की भी है कमी

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। जिले के 17 रूटों पर जल्द ही एचआरटीसी की जगह निजी बसें दौड़ेंगी। घाटे में चल रहे इन रूटों को एचआरटीसी ने बंद (सरेंडर) करने का फैसला लिया है।

इसके बाद परिवहन विभाग ने इन रूटों को निजी ऑपरेटरों को आवंटित करने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। 21 अक्तूबर को परिवहन विभाग के मुख्यालय में होने वाली (आरटीए) रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इन रूटों से संबंधित निविदाओं को खोला जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता निदेशक परिवहन विभाग करेंगे। निजी ऑपरेटरों को रूट आवंटित होने के बाद निगम इन रूटों से अपनी बसों को हटाएगा। 17 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित करने से पहले ही बसों की कमी से जूझ रही एचआरटीसी को बड़ी राहत मिलेगी। बसों और स्टाफ की कमी के कारण एचआरटीसी के लिए पहले ही सभी रूटों पर नियमित रूप से बसों को चलाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

हालत यह है कि रूटों को नियमित रूप से संचालित करने के लिए एचआरटीसी को चालकों और परिचालकों से ओवरटाइम करवाना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है।

> 21 अक्तूबर को आरटीए की बैठक होनी है। इसमें एचआरटीसी के बंद किए जाने वाले 13 रूटों को निजी ऑपरेटरों को आवंटित किए जाने को लेकर निविदाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
>
> –अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ, शिमला

विभाग की बैठक में खोली जाएंगी रूट निविदाएं

अमर उजाला, दिनांक.17–10–.2024
पेज न0–04, कालम–2,3,4

स्कूल बसों में परिचालक नहीं, जुर्माना वसूला

हमीरपुर। बिना पासिंग और फिटनेस सहित सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों पर आरटीओ हमीरपुर ने कार्रवाई की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर ने विभिन्न जगह नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने पर 22 वाहनों के चालान काटकर लगभग एक लाख रुपये जुर्माना वसूला है। कुछ वाहन चालकों ने मौके पर ही चालान का भुगतान कर दिया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि वाहन चालकों की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों को अपनाया नहीं जा रहा है। इन शिकायतों के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सोमवार को हमीरपुर और नादौन में विभिन्न जगह नाका लगाया। इस दौरान

नियमों की अवहेलना पर 22 वाहनों के चालान काटे

उन्होंने कई वाहन चालकों के गाड़ी संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

जांच के दौरान पाया गया है कि कई वाहन चालकों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे। कुछ टैक्सी, निजी व स्कूल बस चालक बिना यूनिफार्म के पाए गए। स्कूल बसों में परिचालक भी नहीं पाया गया। इसके अलावा कई अन्य खामियां सामने आईं।

कुछ वाहन चालकों को सख्त हिदायतें भी जारी की गई हैं जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। आरटीओ हमीरपुर अंकुश ने कहा कि सोमवार को 22 वाहनों के चालान काटे गए हैं। करीब एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। संवाद

अमर उजाला, दिनांक.29—10—.2024
पेज न0—03, कालम—1,2

शहर में चलने वाली बसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी

एक निजी कंपनी बनाकर देगी विभाग को एप

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। शहरवासियों को जल्द बसों की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग के निर्देशों पर कंपनी ने एप बनाने का काम शुरू कर दिया है।

इसके लिए परिवहन विभाग ने शिमला शहर में चलने वाली एचआरटीसी बसों की जानकारी साझा कर ली है जबकि निजी बसों की समयसारिणी भी जल्द साझा की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी होने पर लोग एप पर ही बसों के चलने की समयसारिणी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

लोगों को बस स्टॉपेज पर बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शहर में एचआरटीसी के 68 रूट हैं वहीं निजी बसें करीब 106 रूटों पर चलती हैं। गौरतलब है कि बसों की टाइमिंग को लेकर निजी बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी के बीच आए दिन विवाद होता रहता है।

यही नहीं निजी बस ऑपरेटरों में भी समयसारिणी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने इन विवादों को खत्म करने और लोगों की सुविधा के लिए शहर में चलने वाली बसों की टाइमिंग को

निजी ऑपरेटरों की जानकारी भी जल्द दी जाएगी

ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर निजी बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी के संबंधित डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ भी कई दौर की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इसके बाद शहर में चलने वाली बसों की टाइमिंग को लेकर कुछ हद तक सहमति बन सकी है। अब इसके बाद परिवहन विभाग ने बसों की समयसारिणी को लेकर एप बनाने का काम शुरू कर दिया है।

एप बनाने की प्रक्रिया शुरू : आरटीओ

आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में चलने वाली बसों की समयसारिणी को ऑनलाइन करने के लिए एप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित कंपनी को फिलहाल एचआरटीसी के रूटों की जानकारी उपलब्ध करवा दी है जबकि निजी बसों की जानकारी भी जल्द मुहैया करवाई जाएगी।

अमर उजाला, दिनांक.31—10—.2024
पेज न0—03, कालम—1,2